अध्याय III

वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालियाँ

अध्याय III: वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालियाँ

यह अध्याय राज्य शासन के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए राज्य शासकीय लेखाओं की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ इस अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की पूर्णता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदनों में प्रस्तुत जानकारी की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

लेखाओं की पूर्णता से संबंधित प्रकरण

3.1 राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से ऑफ–बजट उधार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार, यदि किसी राज्य सरकार के पास भारत सरकार से कोई बकाया ऋण या गारंटी है, तो उसको ऋण लेने के लिए भारत सरकार की सहमति अनिवार्य है। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश किया कि वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक राज्य सरकारों के लिए सामान्य निवल उधार सीमा (एनबीसी) को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के तीन प्रतिशत पर निर्धारित किया जा सकता है।

राज्य द्वारा ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद, विभिन्न राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एसपीएसयू)/निगमों/अन्य निकायों के माध्यम से बजट से बाहर ऋणों का मार्ग निर्धारण कर उपरोक्त निर्धारित निवल उधार सीमा को दरकिनार करना, सरकारी वित्त में राजकोषीय स्वास्थ्य और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के एक वित्तीय वर्ष के लिए उधार लेने की सीमा को अब ऑफ–बजट उधार की सीमा तक कम किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य शासन सार्वजनिक हित में अपने राजकोषीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) और अन्य समकक्ष साधनों द्वारा बजट से बाहर लिए गए उधारों से उत्पन्न वास्तविक देनदारियों का खुलासा करना शामिल है, जहां पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी राज्य शासन के आवंटनों पर है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2006 में यह प्रावधान किया गया था कि बजट दस्तावेजों के साथ विधानसभा के समक्ष रखे जाने वाले 'मध्यम अवधि राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरण' में राज्य शासन के राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और कुल बकाया देनदारियों[1] के संबंध में तीन साल के निरंतर चलने वाले लक्ष्य शामिल होंगे।

---

[1] राज्य एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य की कुल बकाया देनदारियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, और विशेष प्रयोजन वाहनों एवं अन्य समकक्ष साधनों द्वारा लिए गए उधार और गारंटी शामिल हैं, जिनके मूलधन या ब्याज का भुगतान राज्य बजट से किया जाना है।

वर्ष 2024–25 के लिए, बजट में एमटीएफपी के तहत कुल देयताओं को जीएसडीपी के 25.43 प्रतिशत पर लक्षित किया गया था, जबकि 15वें वित्त आयोग द्वारा इसके लिए अनुशंसित अनुमान 31.30 प्रतिशत था। बजट से बाहर के उधारों सहित कुल बकाया देनदारियों का जीएसडीपी से अनुपात 27.45 प्रतिशत होगा।

राज्य शासन ने वर्ष 2025–26 के बजट दस्तावेजों में वर्ष 2024–25 के लिए ऑफ–बजट उधारों का विवरण प्रकट नहीं किया। राज्य शासन ने मार्च 2025 की स्थिति में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को ₹2,781.78 करोड़ के बकाया ऑफ–बजट उधार की जानकारी दी, जिसका विवरण नीचे **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: राज्य शासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 मार्च 2025 तक ऑफ–बजट उधारों का विवरण

(₹ करोड़ में)

शासन की ओर से ऋण लेने वाली संस्थाएँ	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान जुटाई गई धनराशि	31 मार्च 2025 को बकाया ऋण	ऋण का उद्देश्य
राज्य शहरी विकास अभिकरण	1,444.23	–12.75	1,431.48	प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के राज्य के हिस्से के लिए
छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,479.73	–129.43	1,350.30	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के राज्य के हिस्से के लिए
छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,356.31	–2,356.31	0.00	सड़कों और पुलों का निर्माण
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल	792.34	–792.34	0.00	राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण
छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	518.95	–518.95	0.00	पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय भवन का निर्माण।
कुल	**6,591.56**	**–3,809.78**	**2,781.78**	

स्रोतः राज्य वित्त विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रदान की गई जानकारी

हालांकि, वित्त मंत्रालय के जून 2025 के पत्र के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2024–25 के दौरान ₹584.21 करोड़ का नया ऑफ–बजट उधार भी लिया है। इसके अलावा, राज्य शासन ने वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान अपने द्वारा अधिग्रहित बिजली क्षेत्र की कंपनियों से संबंधित ₹2,275 करोड़ के ऋण दायित्वों का उल्लेख नहीं किया। वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य शासन द्वारा ₹454.62 करोड़ (मूलधन ₹307.07 करोड़ और ब्याज ₹147.55 करोड़) का बजटीय प्रावधान किया गया, जिसके मुकाबले उपरोक्त ऋण को चुकाने के लिए ₹452.27 करोड़ जारी

किए गए। राज्य शासन की उपरोक्त देनदारियों पर मार्च 2025 तक कुल ₹1,410.58 करोड़[2] बकाया था।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया ऑफ–बजट उधारों को **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: 31 मार्च 2025 की स्थिति में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया ऑफ–बजट उधार

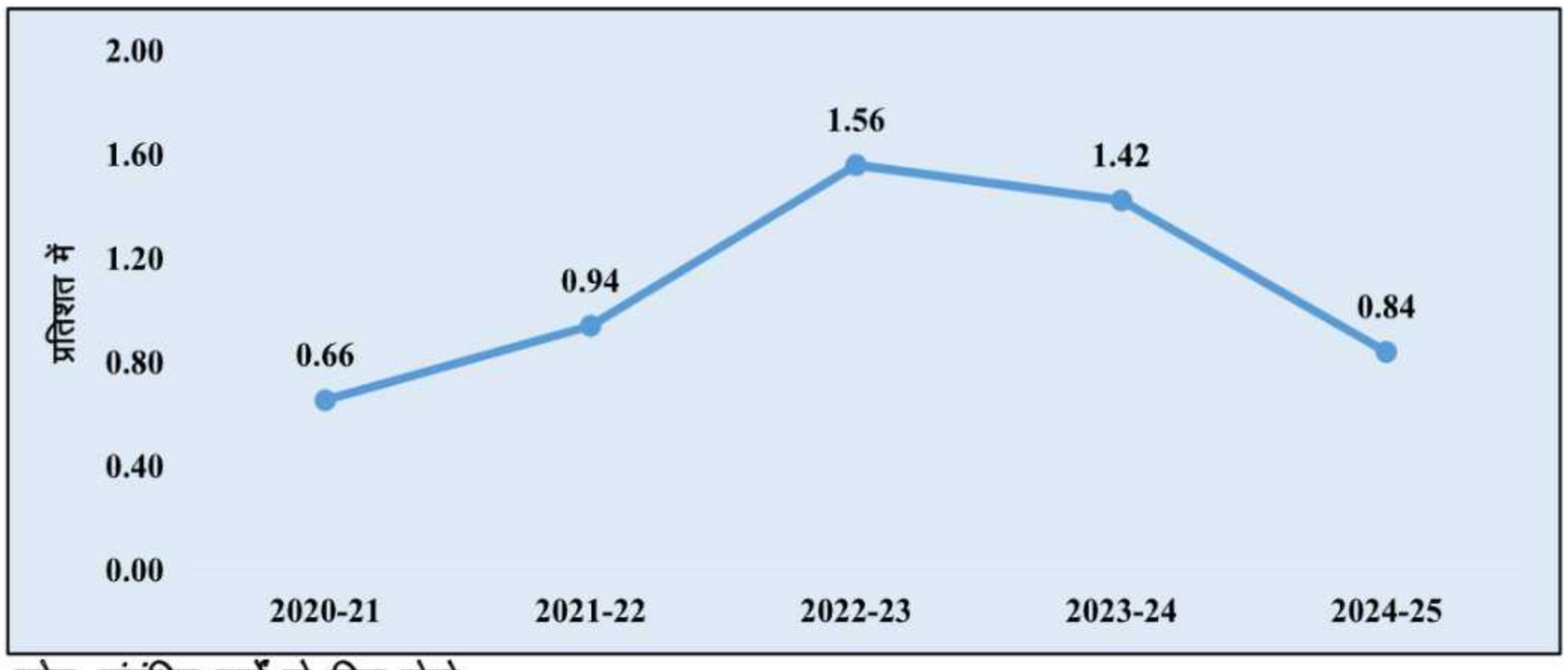

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2024–25 के दौरान, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राज्य शासन की वित्तीय सहायता के माध्यम से ₹5,160.07 करोड़ के ऑफ–बजट उधारों का भुगतान किया गया। इसमें ₹4,441.58 करोड़ के मूलधन और ₹718.49 करोड़ के ब्याज का पुनर्भुगतान शामिल था, जैसा कि **तालिका 3.2** में बताया गया है।

तालिका 3.2: 2024–25 के दौरान ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संस्थाओं का नाम	ब्याज के भुगतान के लिए सहायता	मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए सहायता
1	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल	67.23	792.35
2	छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	46.00	519.97
3	राज्य शहरी विकास अभिकरण	133.24	98.92
4	छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	115.82	123.27
5	छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	211.00	2,600.00
6	छत्तीसगढ पावर कंपनीज (ट्रांसमिशन और जेनरेशन) लिमिटेड	145.20	307.07
	कुल	**718.49**	**4,441.58**

स्रोतः वित्त लेखे 2024–25 और वीएलसी डाटा से संकलित

[2] ₹2,275 करोड़ के मुकाबले, 2024–25 के दौरान ₹307.07 करोड़ का मूलधन चुकाया गया और पिछले वर्षों के दौरान ₹557.35 करोड़ का मूलधन चुकाया गया। अतः मार्च 2025 की स्थिति में ₹1,410.58 करोड़ (₹855.35 करोड़ ट्रांसमिशन कंपनी के साथ और ₹555.23 करोड़ जेनरेशन कंपनी के साथ) बकाया है।

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि राज्य शासन के व्यय के वित्तपोषण के लिए अन्य संस्थाओं के माध्यम से बजट से बाहर जुटाए गए उधार धन का उपयोग न केवल राजस्व/पूंजीगत व्यय और राजस्व/राजकोषीय घाटे को कम करके आंकने का कारण बना, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया कि उधार की राशि राज्य शासन के लेखों में ऋण की गणना से बाहर रहे। वर्तमान व्यय का भार आगामी वर्षों में बजट/बजटीय सहायता के माध्यम से ऋण के भुगतान की सीमा तक भावी पीढ़ियों पर स्थानांतरित हो जाएगा। राज्य शासन पर 31 मार्च 2025 तक बकाया कुल ₹1,53,211.77 करोड़ के बजटीय देनदारियों के अतिरिक्त ₹4,776.57 करोड़ की निवल ऑफ–बजट देनदारी है। इस प्रकार, राज्य की कुल देनदारी ₹1,57,988.34 करोड़ थी।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि राज्य ने एफआरबीएम प्रकटीकरण दस्तावेज में 2024–25 के लिए ऑफ–बजट उधार का खुलासा किया है। इसके अलावा, अधिकांश ऑफ–बजट उधार वित्त वर्ष 2024–25 में चुका दिए गए हैं और आंशिक रूप से चालू वित्त वर्ष 2025–26 में चुका दिए गए हैं।

राज्य शासन ने यह भी कहा कि जहां तक वित्त वर्ष 2022–23 और 2023–24 में अधिग्रहित बिजली कंपनियों के ऋणों का संबंध है, ये ऋण मुख्य रूप से राज्य शासन की गारंटी के बिना वितरण कंपनी (डिस्कॉम) द्वारा लिए गए थे और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र (आरडीएस) योजना के अनुपालन के कारण, राज्य शासन के लिए डिस्कॉम के नुकसान का अधिग्रहण करना अनिवार्य था। इसलिए, इन ऋणों का भुगतान राज्य को बजट प्रावधान के माध्यम से करना पड़ता है। अतः, ये ऋण राज्य की ऑफ–बजट देनदारियों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

तथ्य यह है कि राज्य शासन ने एफआरबीएम प्रकटीकरण दस्तावेज (फॉर्म–डी2) में वर्ष 2024–25 के लिए ऑफ–बजट देनदारियों का विवरण प्रकट नहीं किया और ये उधार राज्य शासन के लेखों में ऋण की गणना से बाहर रहे।

3.2 शासन की बकाया देनदारियां

बकाया देनदारियां, जैसे कि एकत्रित उपकर को नामित निकायों को हस्तांतरित न करना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को कम राशि का प्रेषण करना आदि, से दीर्घकालिक राजकोषीय और शासन संबंधी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। समय के साथ ये बकाया देनदारियां जमा होती जाती हैं, जिससे परोक्ष देनदारियां पैदा होती हैं जो राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति को विकृत कर देती हैं। इसके अलावा, उपकर हस्तांतरण में विलंब से इच्छित विकास या कल्याणकारी परिणाम बाधित होते हैं, जिससे उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती जिनके लिए ऐसे शुल्क लगाए गए थे। इसी प्रकार, एनपीएस में अल्प हस्तांतरण न केवल वैधानिक प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हैं बल्कि कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं। समय के साथ, इस तरह की प्रथाएं विश्वास को कम कर सकती हैं, कानूनी देनदारियों को जन्म दे सकती हैं और भविष्य के व्यय दायित्वों को बढ़ा सकती हैं, जिससे राजकोषीय गुंजाइश सीमित हो जाती है और राजकोषीय स्थिरता कमजोर हो जाती है। ऐसे मामलों पर आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.2.1 बकाया ब्याज देयता

शासन का यह दायित्व है कि वह ब्याजयुक्त जमाओं/आरक्षित निधियों में मौजूद राशियों पर ब्याज प्रदान करे और उसका भुगतान करे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 अप्रैल 2024 तक ब्याज अर्जित करने वाली जमाओं/आरक्षित निधियों के अंतर्गत पड़े ₹710.93 करोड़ की शेष राशि पर ब्याज के रूप में ₹58.83 करोड़ का भुगतान करने की आवश्यकता थी, जैसा कि **तालिका 3.3** में दिखाया गया है।

तालिका 3.3: ब्याजयुक्त जमाओं/आरक्षित निधियों के संबंध में बकाया ब्याज देयता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	ब्याज अर्जित करने वाली जमा का नाम/शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	ब्याज की गणना का आधार	भुगतान/प्रावधान नहीं किया गया ब्याज की राशि
1.	शासकीय कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	21.58	शासन द्वारा अधिसूचित ब्याज दर के अनुसार गणना की गई ब्याज/सामान्य भविष्य निधि को देय ब्याज @ 7.1 प्रतिशत	1.32
2	राज्य आपदा उन्मोचन निधि	489.93	ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर ब्याज की गणना की जाती है जो रेपो दर से दो प्रतिशत पर होती है (8.50)	32.71
3	राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि (एनडीआरएफ)		4.12.2024 को प्राप्त केंद्रीय शेयर (₹33.24 करोड़) के हस्तांतरण में विलंब पर बैंक दर पर यानी 6.75 प्रतिशत 6 दिनों के लिए	0.04
			4.12.2023 को प्राप्त (₹33.24 करोड़ के केंद्रीय हिस्से के मुकाबले राज्य के हिस्से (₹11.08 करोड़) के हस्तांतरण में विलंब पर बैंक दर यानी 6.75 प्रतिशत 43 दिनों के लिए	0.09
4	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	199.42	रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक पर फंड का निवेश न करना (8.50)	24.67
कुल		710.93		58.83

स्रोतः वित्त लेखे 2024–25

ब्याज–युक्त निधियों और जमा खातों में ब्याज का अंतरण न करने के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ₹58.83 करोड़ से कम हो गया। इसके अलावा, अमुक्त ब्याज देयता का संचय बोझ को भविष्य के वर्षों में स्थानांतरित कर देता है, जिससे शासन के राजस्व व्यय पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

3.2.2 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम योगदान

राज्य शासन ने 1 नवंबर 2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की। इस योजना के तहत, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने पत्र संख्या 282 दिनांक 11.05.2022 के माध्यम से 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में प्रत्यावर्तन के लिए अधिसूचना जारी किया

है। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कुल कर्मचारियों में से 2,90,598 कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुना है और 10,349 ने नई पेंशन योजना का विकल्प चुना है।

निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, शासन के अंशदान को शुरू में मुख्य शीर्ष 2071–पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में डेबिट किया जाता है और, कर्मचारियों के योगदान के साथ, इसे बाद में मुख्य शीर्ष 8342–अन्य जमा–लघु शीर्ष–117 (परिभाषित अंशदान पेंशन योजना) के तहत लोक लेखे में जमा किया जाता है। एनपीएस दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश और निधि प्रबंधन के लिए लोक लेखे में समेकित शेष को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

हालांकि, पिछले वर्षों के दौरान राज्य शासन का अंशदान मुख्य शीर्ष 2071 में डेबिट किया जाता था और इसे मुख्य शीर्ष 8342–117 के माध्यम से रूट किए बिना सीधे ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता था।

वर्ष 2024–25 के दौरान, एनपीएस में कुल योगदान ₹63.18 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹25.54 करोड़, शासन का योगदान ₹35.25 करोड़ और प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों का कर्मचारी और नियोक्ता योगदान ₹2.39 करोड़) था। ₹63.18 करोड़ के कुल योगदान के मुकाबले, शासन का ₹0.62 करोड़ का शासकीय अंशदान मुख्य शीर्ष 2071 को डेबिट करके सीधे ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया, और शेष ₹61.71 करोड़ लोक लेखे (8342–117) से ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया। ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित धनराशि में ₹0.85 करोड़ की कमी रही, जिसके परिणामस्वरूप नकद शेष राशि का अधिक आकलन हुआ।

मार्च 2025 तक, राज्य शासन ने ट्रस्टी बैंक को ₹22.43 करोड़ (पिछले वर्षों के लिए ₹21.58 करोड़ और 2024–25 के लिए ₹0.85 करोड़) की कम राशि हस्तांतरित की, जिसके परिणामस्वरूप नकदी शेष का उस सीमा तक अधिक आकलन हुआ।

3.2.3 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का कम हस्तांतरण

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया, जिसका उद्देश्य भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपाय प्रदान करना था। भारत सरकार ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) भी अधिनियमित किया, जिसके तहत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम में निर्धारित निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर लगाया और एकत्र किया जाता है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है, और उपरोक्त अधिनियमों के तहत संबंधित नियम बनाए गए हैं। इस अधिनियम में अन्य बातों के अलावा, सभी राज्य सरकारों द्वारा एक भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के गठन और अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियमों के निर्माण का प्रावधान किया गया था।

तदनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने (सितंबर 2008 में) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया। बोर्ड नियोक्ताओं से निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर एकत्र करता है और भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अनुसार अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इसका उपयोग करता है।

वित्त लेखे 2024–25 के अनुसार, मुख्य शीर्ष मद 8443–108/111 अन्य विभागीय/लोक निर्माण जमा के अंतर्गत, वर्ष के दौरान ₹49.53 करोड़ का श्रम उपकर जमा किया गया। राज्य शासन ने

बोर्ड को देय ₹54.71 करोड़ (₹49.53 करोड़ और ₹5.18 करोड़ पिछले वर्ष के अहस्तांतरित शेष) के मुकाबले ₹50.15 करोड़ हस्तांतरित किए। ₹4.56 करोड़ की शेष राशि बोर्ड को हस्तांतरित नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप नकदी शेष राशि का अधिक आकलन हुआ।

3.2.4 अधोसंरचना विकास उपकर का हस्तांतरण न होना

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 के अंर्तगत किए गए प्रावधान के अनुसार, उन सभी भूमियों पर अधोसंरचना विकास उपकर लगाया और वसूला जाएगा जिन पर भू–राजस्व या किराया लगाया जाता है। एकत्रित उपकर को अधोसंरचना विकास निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और इसका उपयोग राज्य में निर्धारित अधोसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाना चाहिए। अधोसंरचना विकास निधि लोक लेखे (8229 विकास और कल्याण निधि–200–0026) में संधारित की जाती है।

वर्ष 2023–24 और 2024–25 के दौरान, शासन ने अधोसंरचना विकास उपकर के रूप में क्रमशः ₹197.95 करोड़ और ₹180.67 करोड़ एकत्र किए। पिछले वर्ष एकत्रित धनराशि में से, 2024–25 के दौरान राज्य शासन द्वारा निर्धारित निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹197.95 करोड़ की कम राशि हस्तांतरित हुई, जिससे राजस्व व्यय कम दिखाया गया।

इस प्रकार, उपकर संग्रह को निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने में विफलता अधिनियम के प्रावधानों और राजकोषीय विकेंद्रीकरण के उद्देश्य का उल्लंघन था।

3.2.5 पर्यावरण उपकर का हस्तांतरण न होना

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकार अधिनियम, 2005 के अंर्तगत किए गए प्रावधान के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन में एक पर्यावरण निधि स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार एकत्रित पर्यावरण उपकर को पर्यावरण निधि में स्थानांतरित किया जाएगा और छत्तीसगढ़ राज्य में निर्धारित पर्यावरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा इसका उपयोग किया जाना चाहिए। पर्यावरण निधि का संधारण लोक लेखे (8229–200–0021) में किया जाता है।

वर्ष 2023–24 और 2024–25 के दौरान, शासन ने पर्यावरण उपकर के रूप में क्रमशः ₹197.50 करोड़ और ₹180.67 करोड़ एकत्र किए। पिछले वर्ष एकत्र की गई धनराशि में से, 2024–25 के दौरान राज्य शासन द्वारा निर्धारित निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹197.50 करोड़ की कम राशि हस्तांतरित हुई, जिससे राजस्व व्यय कम दिखाया गया।

इस प्रकार, उपकर संग्रह को निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने में विफलता अधिनियम के प्रावधानों और राजकोषीय विकेंद्रीकरण के उद्देश्य का उल्लंघन था।

3.2.6 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) की स्थापना अगस्त 2015 में एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9सी के तहत की गई थी। इस अधिनियम की धारा 9सी (4) के अनुसार, खनन पट्टा या खनिज रियायत धारक द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी का 2 प्रतिशत न्यास में योगदान करना आवश्यक है। एनएमईटी नियमों के अनुसार, राज्य शासन इन अंशदानों को एकत्र करने, उन्हें लोक लेखे के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8449–123–एनएमईटी जमा के तहत जमा करने और

मासिक रूप से इन निधियों को भारत की संचित निधि में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है।

वित्त वर्ष 2024–25 में इस मद में ₹140.01 करोड़ जमा किए गए थे, और पूरी राशि राज्य शासन द्वारा एनएमईटी को हस्तांतरित कर दी गई है।

वर्ष के दौरान किसी प्रकार का विलंब या कम धन हस्तांतरण की समस्या नहीं देखी गई। हालांकि, पट्टेदार के अंशदान का निरंतर सत्यापन और विभागीय संग्रह तथा कोषालय लेखों के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर जोर देना आवश्यक है।

3.2.7 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि का कम हस्तांतरण

भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2018 के माध्यम से, पूर्ववर्ती केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) का नाम परिवर्तित कर केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) कर दिया गया है। सीआरआईएफ का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे में सुरक्षा में सुधार, राज्य और ग्रामीण सड़कों और अन्य अधोसंरचना के लिए किया जाएगा।

मौजूदा प्रचलित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, केंद्र से राज्य को प्राप्त अनुदान को प्रथमतः मुख्य शीर्ष 1601 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। इसके बाद, प्राप्त राशि को राज्य शासन द्वारा कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के माध्यम से लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8449–103–केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में स्थानांतरित किया जाना है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य शासन को सीआरआईएफ के अंतर्गत ₹177.28 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ और उसने वर्ष 2023–24 से संबंधित ₹210.16 करोड़ इस निधि में हस्तांतरित किए। राज्य शासन ने वर्ष 2024–25 के लिए प्राप्त ₹177.28 करोड़ की राशि 31 मार्च 2025 तक लोक लेखे में संधारित निधि में हस्तांतरित नहीं की। ₹177.28 करोड़ की इस कम हस्तांतरण से राजस्व व्यय कम दिखाया गया।

3.2.8 छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि में अंतरण न होना

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 की धारा 3(2) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एकत्र किए गए खनिज राजस्व के पांच प्रतिशत के समतुल्य राशि चिन्हित की जाएगी और खनिज विकास निधि में हस्तांतरित किया जाएगा।

वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य शासन द्वारा ₹639.77 करोड़ (वर्ष 2023–24 के दौरान एकत्र किए गए ₹12,795.35 करोड़ के खनिज राजस्व का पांच प्रतिशत), छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि में हस्तांतरित किया जाना था, जिसके विरूद्ध राज्य शासन द्वारा कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई थी। ₹639.77 करोड़ के कम योगदान के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को उस सीमा तक कम करके आंका गया।

3.2.9 पेंशन निधि में कम अंतरण

छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने दिनांक 29 मार्च 2003 की अधिसूचना के अंतर्गत पेंशन निधि की स्थापना की है। छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि नियमावली के नियम 6 में कहा गया है कि शासन तत्काल, पूर्ववर्ती वर्ष में पेंशन देनदारियों के लिए मुख्य शीर्ष 2071 में कुल देनदारियों के कम से कम पांच प्रतिशत की राशि निधि में अंतरित करेगी, बशर्ते कि राज्य शासन उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निधि में ज्यादा राशि अंतरित कर सकती है।

पेंशन निधि को मुख्य शीर्ष–8229–200 अन्य विकास निधि के नीचे उप–शीर्ष स्तर पर बनाया गया था। 31 मार्च 2024 तक मुख्य शीर्ष–2071 के अंतर्गत कुल व्यय ₹9,111.82 करोड़ था, जिसमें से पांच प्रतिशत ₹455.59 करोड़ होता है जिसे 2024–25 में निधि में योगदान दिया जाना था।

1 अप्रैल 2024 को निधि का प्रारंभिक शेष ₹737.08 करोड़ था। वर्ष के दौरान, ₹455.59 करोड़ के आवश्यक योगदान के मुकाबले ₹340.00 करोड़ की राशि निधि में अंतरित की गई। ₹115.59 करोड़ के कम अंशदान ने उस सीमा तक राजस्व व्यय को कम कर दिया।

3.2.10 धन वापसी के लंबित प्रकरण

धन वापसी के मामलों के शीघ्र निपटान संबंधित विभाग के प्रदर्शन का महत्वपूर्ण संकेतक है। तीन कर संग्रह विभागों ने धन वापसी के लंबित मामलों के आंकड़े उपलब्ध कराए।

संबंधित विभागों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024–25 के दौरान धन वापसी के मामलों का विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4 : धन वापसी मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	राज्य आबकारी		वन		ऊर्जा	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे	26	0.85	15	1.00	0	0.00
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	62	5.98	0	0.00	0	0.00
3.	वर्ष के दौरान किए गए वापसी दावे	70	5.06	0	0.00	0	0.00
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत कर दिए गए वापसी दावे	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.	वर्ष के अंत में बकाया शेष दावे	18	1.77	15	1.00	0	0.00

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

कर वापसी के मामलों का शीघ्र निपटान कर प्रशासन की दक्षता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि विलंब करदाताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है और विभागीय कामकाज में कमियों को दर्शाती है। सूचना का अनुपलब्ध होना अपर्याप्त निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र को इंगित करता है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि लोक लेखों में, जिसमें केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि और राज्य खनिज विकास निधि शामिल हैं, समय पर धन हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं, और आगे कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है कि राजस्व घाटे को कम करके आंकने से बचने के लिए ब्याजयुक्त जमाओं पर ब्याज का सही प्रावधान किया जाए।

पारदर्शिता से संबंधित प्रकरण

3.3 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में विलंब

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता का नियम 182 यह निर्धारित करता है कि जहां सहायता अनुदान वार्षिक या अनावर्ती अनुदान है और केवल एक वर्ष के लिए दिया गया है, तो विभागीय अधिकारी, जिसके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान देयक आहरित किया गया था, अनुदान से संबंधित वर्ष के बाद वाले वर्ष के 30 सितंबर को या उससे पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

वर्ष 2024–25 के दौरान, ₹1,198.90 करोड़ के 141 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए देय हो गये (31 मार्च 2024 तक आहरित सहायता अनुदान देयक)। वर्ष के प्रारंभ में कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं था। वर्ष के दौरान, ₹1,198.59 करोड़ के 138 लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र का निपटारा किया गया, जिससे 31 मार्च 2025 तक ₹0.31 करोड़ के तीन लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र शेष रह गए, जैसा कि **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

उपयोगिता प्रमाणपत्र देय वर्ष	वित्तीय वर्ष	लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	कुल धनराशि
2024–25	2023–24 तक	03	0.31
कुल		**03**	**0.31**

स्रोत: वित्त लेखे 2024–25

31 मार्च 2025 तक केवल राजस्व विभाग के पास (तीन) उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं।

उपयोगिता प्रमाणपत्र का समय पर जमा होना वित्तीय जवाबदेही और संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में सुधार दर्शाता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी आवश्यक है कि सभी उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा हो जाएं।

3.4 संक्षिप्त आकस्मिक देयक

जब अग्रिम रूप से धन की आवश्यकता होती है या जब वे आवश्यक सटीक राशि की गणना करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को सहायक दस्तावेजों के बिना, संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) देयकों के माध्यम से, सेवा मदों को नामे करके धन निकालने की अनुमति होती है और व्यय को सेवा मद के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

छत्तीसगढ़ कोषालय नियम के नियम 327 के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को वित्तीय व्यय के समर्थन में वाउचर सहित विस्तृत आकस्मिक (डीसी) देयक, अगले महीने की 25 तारीख तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिस महीने में ऐसी राशि निकाली गई थी। डीसी देयकों को विलंबित या लंबे समय तक प्रस्तुत न करने से लेखों की पूर्णता और शुद्धता प्रभावित हो सकती है।

वर्ष 2024–25 के दौरान आहरित किए गए ₹8,061.68 करोड़ के 412 एसी देयकों में से, मार्च 2025 में ₹2,741.37 करोड़ (34.00 प्रतिशत) 123 एसी देयकों से निकाले गए थे और 31 मार्च 2025 तक ₹8,045.23 करोड़ के 76 एसी देयक समायोजित किए गए थे।

असमायोजित एसी देयकों, जिनके डीसी देयकों के जमा होना लंबित है का विवरण, **तालिका 3.6** में दिखाया गया है।

तालिका 3.6 : आयुवार एसी देयकों के लंबित समायोजन

(₹ करोड़ में)

देय वर्ष	एसी देयकों की संख्या	राशि
2022–23 तक	56	2.53
2023–24	112	0.67
2024–25	336	16.45
कुल	**504**	**19.65**

स्रोतः वित्त लेखे 2024–25

कुल 336 बकाया एसी देयक सात विभागों से संबंधित हैं, जिनमें से ₹16.40 करोड़ के 331 एसी देयक पांच प्रमुख विभागों से लंबित थे, जैसा कि **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2 : पांच प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डीसी देयक

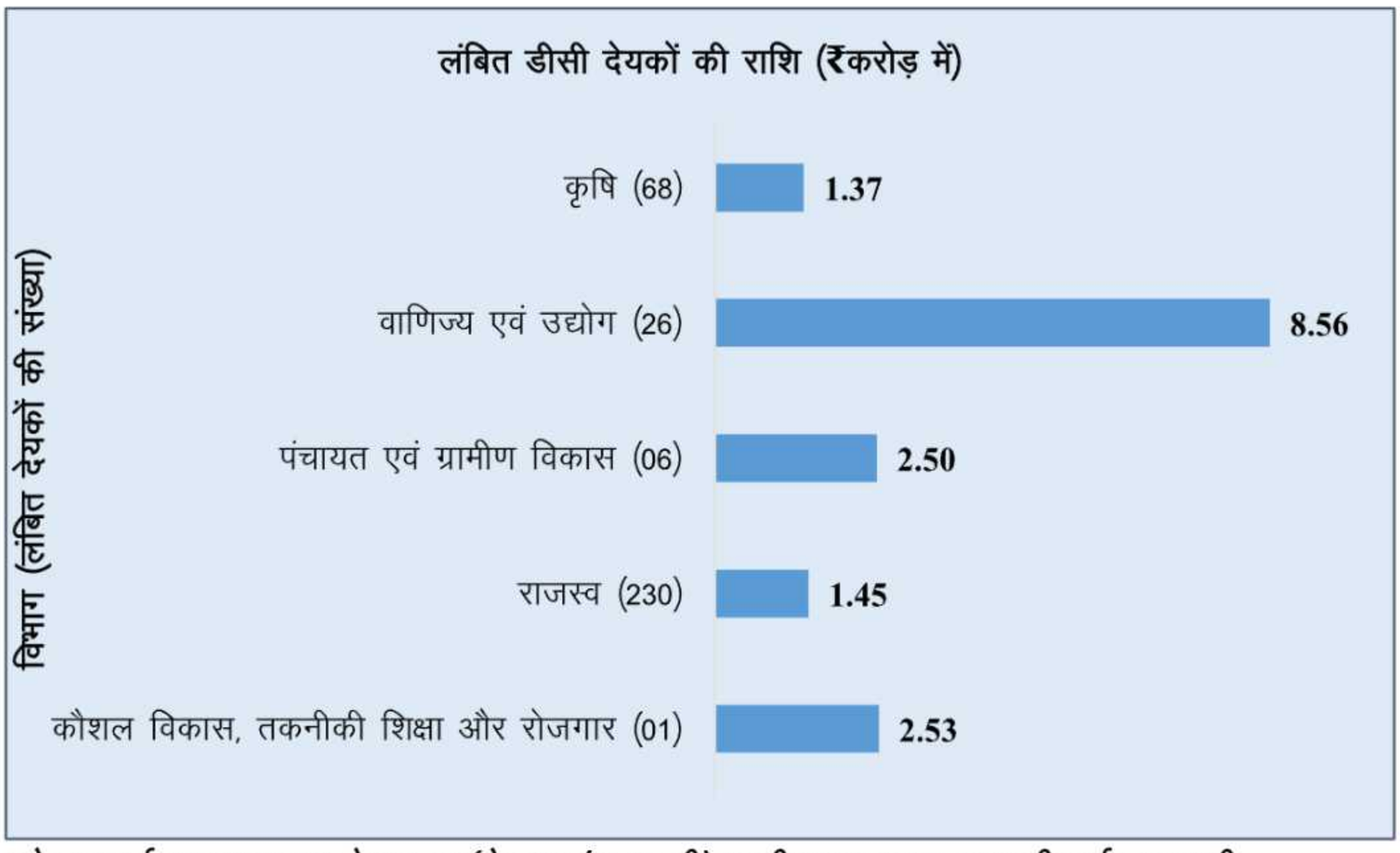

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदान की गई जानकारी

लंबे समय तक अग्रिम भुगतानों का समायोजन न होने से दुर्विनियोजन का खतरा बना रहता है, इसलिए संबंधित डीडीओ द्वारा डीसी देयक जमा करने को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी आवश्यक है। इसके अलावा, डीसी देयक प्राप्त न होने की स्थिति में, वित्त लेखों में दर्शाया गया व्यय सही या अंतिम नहीं माना जा सकता।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि संबंधित विभागों को तत्काल अनुपालन के लिए औपचारिक पत्र जारी किए जा रहे हैं।

3.5 व्यक्तिगत जमा खाते

व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते, ब्याज न देने वाले जमा खाते हैं जो 8443–सिविल जमा 106 व्यक्तिगत जमा के तहत खोले जाते हैं और खातों के प्रशासकों के नाम पर कोषालयों में रखे

जाते हैं। कोषालय में रखा गया खाता एक बैंकिंग जमा खाते की तरह होता है, जिसमें प्राप्तियों और भुगतानों का अभिलेख व्यक्तिगत बहीखातों में दर्ज किया जाता है। ये खाते वित्त विभाग की स्वीकृति से खोले जा सकते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार, महालेखाकार की सहमति आवश्यक नहीं है। राज्य कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अनुसार, राज्य शासन को व्यक्तिगत जमा खाता (जो लोक लेखे का हिस्सा है) खोलने का अधिकार है, जिसमें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने हेतु समेकित निधि से (व्यय मद को नामे करके) धनराशि निकाली जाती है। पीडी खातों में पड़ी अप्रयुक्त शेष राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संबंधित सेवा मदों से शेष राशि को ऋणात्मक नामे कर समेकित निधि में वापस स्थानांतरित करना आवश्यक है।

तालिका 3.7 पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पीडी खातों में मौजूद धनराशि की स्थिति प्रदान करती है।

तालिका 3.7: वर्ष 2020–25 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान खोले गए खाते/प्राप्त राशि		वर्ष के दौरान बंद किए गए खाते/वितरित राशि		31 मार्च को अंतिम शेष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2020–21	223	1,585.26	03	502.34	18	526.65	208	1,560.95
2	2021–22	208	1,560.95	02	287.56	71	444.13	139	1,404.38
3	2022–23	139	1,404.38	02	250.56	10	290.74	131	1,364.20
4	2023–24	131	1,364.20	02	149.09	03	160.39	130	1,352.90
5	2024–25	130	1,352.90	03	224.69	04	205.32	129	1,372.27

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि **तालिका 3.7** से देखा जा सकता है, 2020–21 से 2024–25 के दौरान, कुल 12 पीडी खाते खोले गए और 106 खाते बंद कर दिए गए। 31 मार्च 2025 तक, 129 पीडी खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में अंतिम शेष राशि ₹1,372.27 करोड़ थी। ₹1,372.27 करोड़ की कुल शेष राशि में से 43 पीडी खातों में ₹995.09 करोड़, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की बकाया राशि से संबंधित हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान, पीडी खातों में हस्तांतरित कुल ₹224.69 करोड़ में से ₹25.84 करोड़ की राशि राज्य की संचित निधि से हस्तांतरित किए गए। इसमें मार्च 2025 में हस्तांतरित ₹11.53 करोड़ शामिल हैं। कुल वितरित राशि ₹205.32 करोड़ में से, चार पीडी खातों को बंद करने के बाद संबंधित सेवा मदों से ऋणात्मक नामे करने के बजाय, ₹23.18 करोड़ की राशि लोक लेखे के मुख्य शीर्ष 8443–101 (राजस्व जमा) में स्थानांतरित कर दी गई। शेष ₹182.14 करोड़ की राशि वर्ष 2024–25 के दौरान संवितरित की गई।

इसके अलावा, ₹4.90 करोड़ की शेष राशि वाले चार पीडी खाते पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय थे और अभी तक बंद नहीं किए गए थे।

पीडी खातों में अंतिम शेष से पता चलता है कि प्रशासकों ने नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित सेवा मद से ऋणात्मक नामे करके पीडी खाते को बंद नहीं किया। चूंकि पीडी खातों में हस्तांतरित राशि को राज्य की समेकित निधि में अंतिम व्यय के रूप में दिखाया जाता

है, इसलिए वर्ष के अंत में पीडी खातों को बंद न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान समेकित निधि के अंतर्गत व्यय का अधिक आकलन हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि संबंधित विभागों को तत्काल अनुपालन के लिए औपचारिक पत्र जारी किए जा रहे हैं।

3.6 लघु शीर्ष –800 का संचालन

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष–800 का उपयोग केवल तभी किया जाना है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष –800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है। लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बड़ी राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, 28 प्रमुख लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹771.18 करोड़, जो ₹1,45,444.44 करोड़ के कुल व्यय (राजस्व व्यय–₹1,25,389.82 करोड़ और पूंजीगत व्यय–₹20,054.62 करोड़) का 0.53 प्रतिशत है, को लेखा में लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, 44 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹5,794.58 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹1,20,290.35 करोड़) का 4.82 प्रतिशत है, को लेखों में 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इनमें से, मुख्य शीर्ष 0853 के अंतर्गत रॉयल्टी के रूप में प्राप्त ₹11.99 करोड़ रुपये को लघु शीर्ष–800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जबकि रॉयल्टी के लिए उपयुक्त लघु शीर्ष 107 उपलब्ध था जैसा कि **तालिका 3.8** में विस्तार से बताया गया है।

तालिका 3.8: वर्ष 2024–25 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत की गई प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

बुकिंग के शीर्ष का विवरण जिसके अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था	राशि	प्राप्ति की प्रकृति	सही वर्गीकरण
मुख्य शीर्ष 0853–अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग, लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत	11.99	रॉयल्टी	मुख्य शीर्ष 0853–अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग, लघु शीर्ष 107–लघु खनिज रियायत शुल्क, किराया और रॉयल्टी के अंतर्गत
कुल	**11.99**		

विशिष्ट कार्यात्मक लघु शीर्ष उपलब्ध होने के बावजूद, सामान्य लघु शीर्ष 800 का निरंतर संचालन लेखांकन ढांचे के अंतर्गत निर्धारित पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। लघु शीर्ष 800 का अनुचित उपयोग लेन–देन की वास्तविक प्रकृति को छुपाता है और इससे संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों आदि का खुलासा नहीं करता है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और विभागीय कार्यों की जवाबदेही कम हो जाती है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि अधिक विस्तृत और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए लघु शीर्ष 800 पर अत्यधिक निर्भरता को रोकने के लिए विशिष्ट निर्देश भेजे जा रहे हैं।

माप से संबंधित प्रकरणें

3.7 उचंत एवं ऋण, जमा, प्रेषण शीर्षों अंतर्गत बकाया शेष राशि

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशियों की गणना विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया नामे और जमा शेष को अलग–अलग मिलाकर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के महत्वपूर्ण उचंत मदों की शेष राशि **तालिका 3.9** में दर्शाई गई है।

तालिका 3.9: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष		2022–23		2023–24		2024–25	
		नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658	**उचंत लेखा**						
101	वेतन और लेखा कार्यालय–उचंत	67.19	36.13	77.11	20.21	26.28	29.03
	निवल नामे/निवल जमा	**नामे 31.06**		**नामे 56.90**		**जमा 2.75**	
102	उचंत लेखा – (सिविल)	0.00	5.93	0.00	7.98	0.37	18.70
	निवल नामे/निवल जमा	**जमा 5.93**		**जमा 7.98**		**जमा 18.34**	
109	रिज़र्व बैंक उचंत –(मुख्यालय)	–1.13	–0.08	–1.83	–0.16	–1.49	–0.09
	निवल नामे/निवल जमा	**जमा 1.05**		**जमा 1.67**		**जमा 1.40**	
110	रिज़र्व बैंक उचंत –(केंद्रीय लेखा कार्यालय)	4.44	0.00	2.90	0.00	4.64	0.00
	निवल नामे/निवल जमा	**नामे 4.44**		**नामे 2.90**		**नामे 4.64**	
112	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत	0.00	140.14	0.00	94.74	0.00	112.19
	निवल नामे/निवल जमा	**जमा 140.14**		**जमा 94.74**		**जमा 112.19**	
113	भविष्य निधि उचंत	12.86	0.00	1.88	0.00	0.74	0.00
	निवल नामे/निवल जमा	**नामे 12.86**		**नामे 1.88**		**नामे 0.74**	
123	एआईएस अधिकारी की समूह बीमा योजना	0.00	0.46	0.00	0.28	0.00	0.07
	निवल नामे/निवल जमा	**जमा 0.46**		**जमा 0.28**		**जमा 0.07**	
129	सामग्री खरीद निपटान उचंत खाता	0.00	81.67	0.00	81.67	0.00	81.67
	निवल नामे/निवल जमा	**जमा 81.67**		**जमा 81.67**		**जमा 81.67**	
8782	**नकद प्रेषण और एक ही लेखा अधिकारी को खाते सौंपने वाले अधिकारियों के बीच समायोजन**						
102	लोक निर्माण प्रेषण	53.75	14.83	62.76	9.12	123.55	9.13
	निवल नामे/निवल जमा	**नामे 38.92**		**नामे 53.64**		**नामे 114.43**	
103	वन प्रेषण	44.53	5.24	45.81	5.59	53.36	7.41
	निवल नामे/निवल जमा	**नामे 39.29**		**नामे 40.22**		**नामे 45.94**	
8793	**अंतर–राज्यीय उचंत खाता**	91.13	–10.50	101.63	11.28	1782.99	0.00
	निवल नामे/निवल जमा	**नामे 101.63**		**नामे 90.35**		**नामे 1782.99**	

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशि का गैर–निस्तारण राज्य शासन के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो साल दर साल आगे ले जाए जाते हैं) के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेष राशि की सटीकता को प्रभावित करता है।

3.8 विभागीय आंकड़ों का मिलान

राजस्व/व्यय पर प्रभावी बजटीय नियंत्रण रखने और लेखों में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य वित्तीय नियमों में यह प्रावधान है कि मुख्य नियंत्रण अधिकारियों/नियंत्रण अधिकारियों को हर महीने अपनी पुस्तकों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों से करना आवश्यक है।

नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आंकड़ों के मिलान की स्थिति **तालिका 3.10** और **चार्ट 3.3** में दी गई है।

तालिका 3.10: नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की संख्या	नियंत्रक अधिकारियों की संख्या जिन्हाने अपनी प्राप्तियों/व्ययों का मिलान किया		
		पूर्ण मिलान	आंशिक मिलान	मिलान नहीं किया गया
प्राप्तियाँ				
2022–23	54	52	00	02
2023–24	54	50	00	04
2024–25	55	51	00	04
व्यय				
2022–23	94	87	00	07
2023–24	95	88	00	07
2024–25	95	88	00	07

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदान की गई जानकारी

चार्ट 3.3 : वर्ष 2022–25 के दौरान प्राप्ति और व्यय के मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

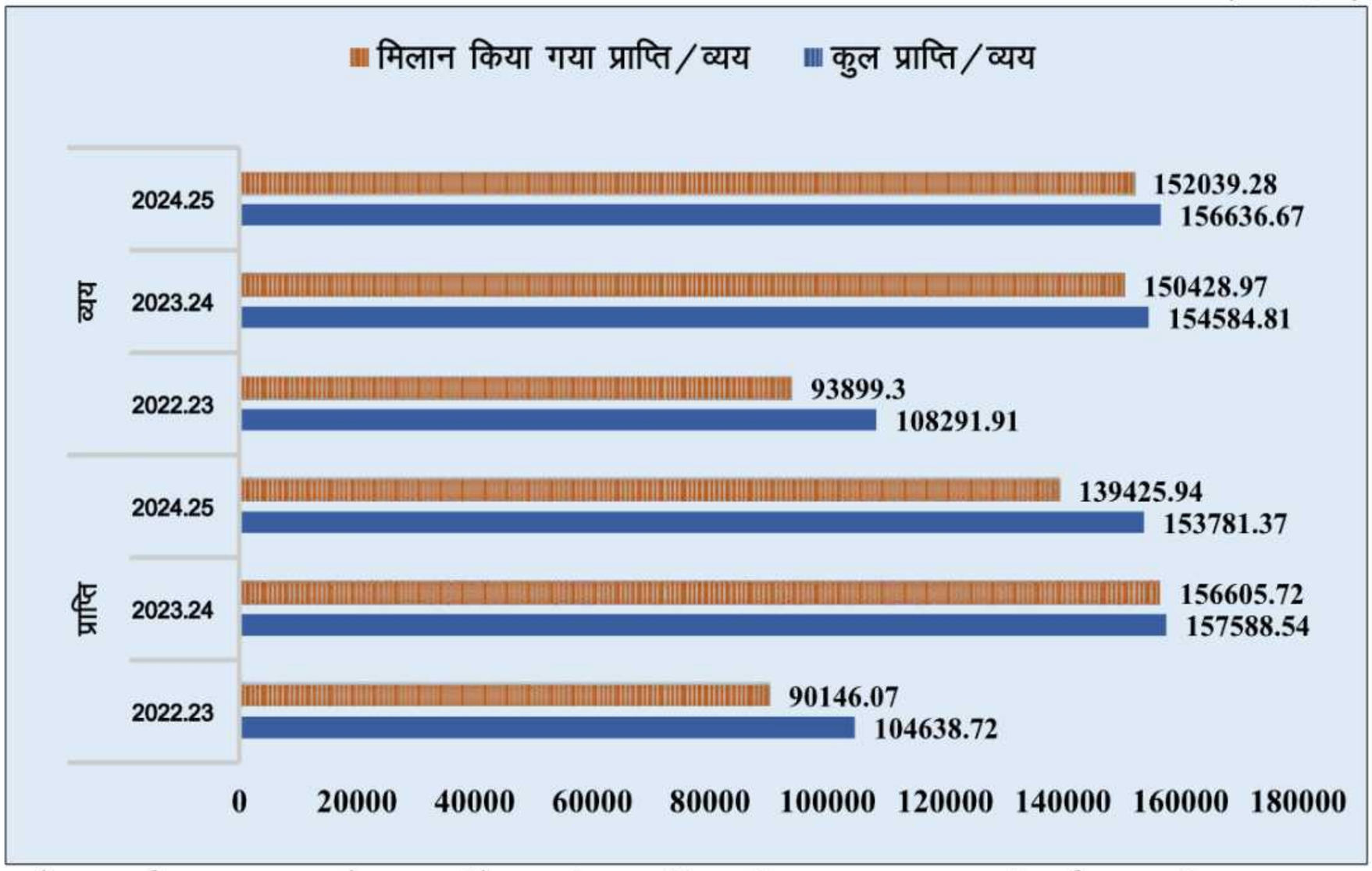

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदान की गई जानकारी

वर्ष 2024–25 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 91 प्रतिशत और कुल व्यय का 97 प्रतिशत मिलान किया गया। कुल मिलाकर, प्राप्तियों के अंतर्गत ₹14,355.43 करोड़ और व्यय के अंतर्गत ₹4,597.39 करोड़ की राशि का मिलान नहीं हो सका। 2023–24 की तुलना में, राजस्व व्यय का मिलान लगभग समान रहा, जबकि प्राप्तियों का मिलान 99 प्रतिशत से घटकर 91 प्रतिशत हो गया।

सात बजट नियंत्रण अधिकारियों[3] ने पिछले तीन वर्षों (2022–25) से लगातार व्यय के आंकड़ों का मिलान नहीं किया है।

मिलान न होने से यह सुनिश्चित नहीं हो पाता कि सभी प्राप्तियाँ/व्यय को उचित रूप से खाते के अंतिम शीर्ष में सही से दर्ज किए गए हैं। इस जाँच को न करने से लेखों में प्राप्तियों और व्ययों का गलत वर्गीकरण और गलत प्रविष्टि हो सकती है। सभी प्राप्तियों और व्ययों के मिलान के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

3.9 रोकड़ शेषों का मिलान

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ के लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2025 को राज्य शासन का रोकड़ शेष ₹223.19 करोड़ (नामे) था, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे ₹234.97 करोड़ (जमा) बताया गया था। इस प्रकार, मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा आरबीआई, नागपुर के केंद्रीय लेखा अनुभाग को गलत रिपोर्टिंग के कारण ₹11.78 करोड़ (जमा) का एक असंगत अंतर था, जो प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ और राज्य शासन के बीच सुलह के अधीन था। नवंबर 2025 खाते के बंद होने के बाद, उक्त शुद्ध अंतर ₹26.77 लाख (जमा) था।

प्रकटीकरण से संबंधित प्रकरण

3.10 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखों का प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं। सीएजी की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक चार भारतीय सरकारी लेखा मानक (भा.स.ले.मा.) अधिसूचित किए हैं। राज्य शासन द्वारा इन लेखा मानकों का अनुपालन और साथ ही वर्ष 2024–25 के दौरान इनमें पाई गई कमियों का विवरण **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्रम संख्या	लेखांकन मानक	भा.स.ले.मा. का सार	राज्य शासन द्वारा अनुपालन	कमी
1	भा.स.ले.मा.–1: शासन द्वारा दी गई गारंटी–प्रकटीकरण आवश्यकता	इस मानक के अनुसार शासन को वर्ष के अंत में अपने वित्तीय विवरणों में परिवर्धन, विलोपन, आग्रह, निर्वहन और बकाया के साथ–साथ वर्ष के दौरान दी गई गारंटी की अधिकतम राशि का खुलासा करने की आवश्यकता होती है।	पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया	2024–25 के दौरान, हालांकि राज्य शासन ने दी गई गारंटियों के क्षेत्रवार/वर्ग–वार विवरण का खुलासा किया, लेकिन वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया गया।

[3] 1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग 2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग 3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग 4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आयकूट विभाग 5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग 6. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग और 7. आयुक्त, पुरातत्व एवं संस्कृति।

2	भा.स.ले.मा.–2: सहायता अनुदानों का लेखांकन और वर्गीकरण	सहायता अनुदान को अनुदानकर्ता के लेखों में राजस्व व्यय के रूप में और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना है, चाहे अंतिम उपयोग कुछ भी हो।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया	लेखांकन मानक का उल्लंघन कर सहायता अनुदान (₹5,126.55 करोड़) को पूंजी अनुभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।
3	भा.स.ले.मा.–3: शासन द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	यह मानक पूर्ण, सटीक और समान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में मान्यता, माप, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग से संबंधित है।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया	दिए गए ऋणों के ब्यौरे की पुष्टि राज्य शासन/कुछ ऋण संस्थाओं द्वारा नहीं की गई थी।
4	भा.स.ले.मा.–4: *पूर्व अवधि का समायोजन*	नकद आधार पर लेखांकन के लिए निर्धारित यह मानक, उन पूर्व अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों में त्रुटियों के सुधार या समायोजन हेतु पूर्व अवधि की मदों को मान्यता देता है जिनके खाते बंद कर दिए गए हैं।	अनुपालन किया गया	————

स्रोतः भारतीय सरकारी लेखा मानक और वित्त लेखे

लेखांकन मानकों का अनुपालन न करने से राजकोषीय पारदर्शिता प्रभावित होती है और वित्त का सही और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व बाधित होती है।

3.11 स्वायत्त निकायों के लेखों का प्रस्तुतिकरण

31 मार्च 2025 तक, 24 स्वायत्त निकायों से संबंधित 106 लेखे लंबित थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** में बताया गया है।

लेखों में निरंतर विलंब और उन्हें प्रस्तुत न करना, कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र और प्रशासनिक विभागों द्वारा अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है। यह समय पर वित्तीय संचालन, पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल्यांकन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विलंब शासकीय लेखों के समेकन और बाद में लेखापरीक्षा में भी बाधा डालती है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि संबंधित विभागों को स्वायत्त निकायों के 106 लंबित लेखों को जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा।

अन्य प्रकरण

3.12 दुर्विनियोग, हानि, चोरी, आदि के प्रकरण

छत्तीसगढ़ वित्त संहिता खंड–1 के नियम 22 और 23 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक शासकीय कर्मचारी शासन को उसके द्वारा धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण हुई किसी भी हानि या किसी अन्य शासकीय कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण हुई किसी भी हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, उस सीमा तक जिस सीमा तक उसने अपने स्वयं के कार्यों या लापरवाही से हानि में योगदान दिया हो। इसके अलावा, उक्त नियम 22 के अनुसार, गबन और नुकसान के मामलों की रिपोर्ट महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को दी जानी आवश्यक है।

31 मार्च 2025 तक, दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि से संबंधित 2,181 प्रकरण लंबित थे, जिनमें ₹124.72 करोड़ की राशि शामिल थी। विभागवार लंबित मामलों का विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है।

कुल 2,181 मामलों में से, ₹88.06 करोड़ से संबंधित 735 मामलों में विभागों ने विभागीय और आपराधिक जांच शुरू नहीं की है, जबकि ₹36.60 करोड़ से संबंधित 1,433 मामलों में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है लेकिन उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है, और ₹0.06 करोड़ से संबंधित 13 मामलों में विभागीय और आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन राशि की वसूली लंबित है।

लंबित मामलों की आयु–प्रोफाइल और प्रत्येक श्रेणी–चोरी और शासकीय सामग्री के दुर्विनियोग/हानि में लंबित मामलों की संख्या का सारांश **तालिका 3.12** में दिया गया है।

तालिका 3.12 : दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि की रूपरेखा।

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरण की आयु रूपरेखा			लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
वर्षों में सीमा	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
0–5	175	2.32			
6–10	231	8.80	चोरी	121	0.54
11–15	507	92.40	गबन	67	5.88
16–20	283	10.06			
21–25	172	2.74	हानि	1993	118.30
25 से ऊपर	813	8.40	**कुल**	**2181**	**124.72**
कुल	**2181**	**124.72**			

स्रोतः विभागीय डेटा/जानकारी

कुल 2,181 मामलों में से, ₹0.54 करोड़ के 121 प्रकरण शासकीय धन/भंडार की चोरी से संबंधित थे, जबकि शासकीय सामग्री के गबन/नुकसान से संबंधित ₹113.60 करोड़ के 1,775 प्रकरणें दस साल से अधिक समय से लंबित थे।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि गबन/धोखाधड़ी के लंबे समय से लंबित मामलों को बट्टे खाते में डालने और उनका समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3.13 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य में, लोक लेखा समिति/वित्त विभाग, संबंधित विभागों से अपेक्षा करता है कि, विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के एक महीने के भीतर प्रतिवेदन में शामिल अनुच्छेदों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए स्पष्टीकरण नोट प्रस्तुत करें। संबंधित विभागों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के तीन महीने के भीतर महालेखाकार को कार्रवाई संबंधी नोट्स (जांच और आगे पीएसी को भेजने के लिए) उपलब्ध कराना भी अपेक्षित है।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 से राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की लोक लेखा समिति ने अभी तक इन प्रतिवेदनों पर चर्चा (अप्रैल 2025) नहीं की है ।

विधायी जांच के लिए इन प्रतिवेदनों का लगातार लंबित रहना एक प्रभावी अनुवर्ती तंत्र के अभाव और विभागीय और समिति स्तरों पर जवाबदेही के कमजोर प्रवर्तन को दर्शाता है।

3.14 निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ राज्य शासन पर मार्च 2025 तक कुल बजटीय देनदारियों ₹1,53,211.77 करोड़ के अतिरिक्त ₹4,776.57 करोड़ की निवल ऑफ–बजट देनदारियां हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न सामाजिक–आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों से संबंधित अपनी संपूर्ण देनदारियों का खुलासा अपने बजट में नहीं किया है, जिनके लिए राज्य शासन ने मूलधन और ब्याज पुर्नभुगतान की गारंटी दी थी।

मार्च 2025 तक, ₹19.65 करोड़ के 504 विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करने के लिए लंबित थे। विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए निकाली गई धनराशि के लिए विभागों द्वारा विस्तृत आकस्मिक देयक जमा न करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लेखों को प्रस्तुत न करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य शासन के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और अपर्याप्त निगरानी तंत्र की ओर इशारा करता है और अपव्यय/दुर्विनियोग/कदाचार आदि के जोखिम/संभावना को बढ़ाता है।

31 मार्च 2025 तक, 129 व्यक्तिगत जमा खाते राशि ₹1,372.26 करोड़ के अंतिम शेष के साथ अस्तित्व में थे। व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित न करना सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोग के जोखिम को बढ़ाता है।

सर्वसमावेशी लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियां (₹5,798.58 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों ₹1,20,290.35 करोड़ का 4.82 प्रतिशत है) और अन्य व्यय (₹771.18 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय ₹1,45,444.44 करोड़ का 0.53 प्रतिशत है) के संचालन ने वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित किया और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को अस्पष्ट कर दिया।

लेखा मानकों का अनुपालन न करने से राजकोषीय पारदर्शिता प्रभावित होती है और वित्त का सही और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व बाधित होता है। स्वायत्त निकाय लंबे समय से अपने खाते प्रस्तुत किए बिना कार्य कर रहे हैं, जबकि राज्य शासन उन्हें अनुदान, ऋण और गारंटी भी देकर सहायता प्रदान करती है।

3.15 अच्छी प्रथाएं

वित्त वर्ष 2024–25 में, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8449–123–एनएमईटी जमा के तहत लोक लेखे में ₹140.01 करोड़ जमा किए गए थे, और राज्य शासन द्वारा पूरी राशि एनएमईटी को हस्तांतरित कर दी गई है। वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का विलंब या कम हस्तांतरण नहीं देखी गई।

वर्ष 2024–25 के दौरान, ₹1,198.90 करोड़ के 141 उपयागिता प्रमाण पत्र (31 मार्च 2024 तक आहरित किए गए सहायता अनुदान देयक) जमा करने के लिए देय थे। वर्ष के प्रारंभ में कोई भी सहायता अनुदान देयक लंबित नहीं था। वर्ष के दौरान, ₹1,198.59 करोड़ के 138 लंबित सहायता अनुदान देयकों का निपटाण किया गया, और केवल ₹0.31 करोड़ के तीन सहायता अनुदान देयक लंबित शेष रह गया।

3.16 अनुशंसाएँ

शासन कर सकती है

- बजट प्रस्तुत करते समय, अपनी वित्तीय स्थिति का उचित आकलन सुनिश्चित करने के लिए, ऑफ–बजट उधारों सहित अपनी सभी देनदारियों का पारदर्शी रूप से खुलासा करें।
- पुराने बकाया संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के निपटान के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, यह ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2022–23 से विस्तृत आकस्मिक देयक अभी भी जमा करना लंबित है। साथ ही, आहरण एवं संवितरण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्तृत आकस्मिक देयक, निर्धारित समय के भीतर जमा किए जाएं, ताकि असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयक के संचय से बचा जा सके।
- सभी व्यक्तिगत जमा (पीडी) खातों की समीक्षा कर सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सेवा मदों को नामे करके पीडी खातों में स्थानांतरित लेकिन अनावश्यक रूप से इन पीडी खातों में पड़ी राशि को मौजूदा नियमों के अनुसार तुरंत समेकित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। निष्क्रिय पीडी खातों को शासकीय निर्देशों के अनुसार समय पर बंद कर दिया जाना चाहिए।
- सर्वसमावेशी लघु शीर्ष 800 के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और विशिष्ट समयसीमा के अंतर्गत, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से, लेखा पुस्तकों में सही वर्गीकृत करने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्षों की पहचान किया जाना चाहिए।

रायपुर
दिनांक : 06 मई 2026

(मो. फ़ैज़ान नैय्यर)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 13 मई 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक